भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1957

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु उच्चतर कट-ऑफ

1957. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी परीक्षाओं और भर्तियों में ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु कट-ऑफ अंक सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक थे;

(ख) आरक्षण नीतियों, उम्मीदवारों का प्रदर्शन और रिक्तियों के वितरण से संबंधित कारकों सहित ऐसी घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए आरक्षण प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या भविष्य में ऐसी विसंगतियों को रोकने के लिए किसी नीतिगत समीक्षा पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं के लिए भर्ती विभिन्न भर्ती एजेंसियों और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। विभिन्न सरकारी परीक्षाओं और भर्ती में उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंक सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग/भर्ती एजेंसियों द्वारा तय किए जाते हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने विभिन्न निर्देश जारी किए हैं और समय-समय पर उन्हें दोहराया है, जिसके अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संगठनों को केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं में आरक्षण के आदेशों को लागू करने के लिए ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कम से कम उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को नामित करना आवश्यक है। संपर्क अधिकारी के कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि अधीनस्थ नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी पिछड़े वर्गों के पक्ष में रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का समुचित अनुपालन करें। संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में मंत्रालय/विभाग के भीतर एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि संपर्क अधिकारी को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सहायता मिल सके। संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन में किसी भी लापरवाही के मामले में, संपर्क अधिकारी को ऐसी लापरवाही की रिपोर्ट सीधे संबंधित विभाग के अपर सचिव/सचिव को देनी होगी, जो आरक्षण अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार, प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव को संबंधित संपर्क अधिकारी की सहायता से आरक्षण से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

*****